



उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ0प्र0)

टेलीफोन:91-522-2324000/01, फ़ैक्स: 91-522-2344002, टोल फ्री: 18001805412

ई-मेल: upbocboardkanpur@gmail.com

:: अधिसूचना ::


उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-47-27/भ0नि0बो0-14, दिनांक- 03.07.2014 के माध्यम से "पेंशन योजना" अधिसूचित की गई है।

तत्क्रम में, बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 18.11.2015 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-07 के एक भाग "पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता की अवधि 05 वर्ष से घटा कर 03 वर्ष किये जाने" के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-494/छत्तीस-2-2016-91/11, दिनांक, 04 अप्रैल, 2016 के द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुक्रम में निम्न संशोधन किये गये हैं-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-3 पेंशन की पात्रता	03 .60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय कम से कम 05 (पांच) वर्ष लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।	03. 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 03 (तीन) वर्ष तक लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।

कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


भवदीय,


(बी0जे0सिंह)
सचिव, बोर्ड।

पत्रांक सं0 43-49 /भ0नि0बो0-(486)/16 दिनांक:- 05/04/2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या- 494/छत्तीस-2-2016-91/11 दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।


(आर0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव, बोर्ड।